6 205 425

बिहार सरकार,
साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग ।
ददद

।। संकल्प ।।

संख्या-4/भू0 पु0क0-07/2003 2156 /सा0पु0, पटना-15, दिनांक - 16/8/03

विषय :- बाढ़/कटाव से विस्थापित परिवारों को भूमि एवं मकान उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रत्येक वर्ष बाढ़/कटाव से हजारों की संख्या में प्रभावित परिवार विस्थापित होकर सड़क, बाँध एवं अन्य ऊँचे स्थानों पर अस्थायी शरण लेते हैं तथा बाढ़ के उपरान्त अपने गाँव में वापस चले जाते हैं । कुछ स्थानों पर नदी के कटाव अथवा धारा के परिवर्तन से कई परिवार स्थायी रूप से कटावग्रस्त हो जाते हैं । सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कटावग्रस्त परिवारों के पुनर्वास हेतु भू-अर्जन कर जमीन उपलब्ध कराई जाती है । इनमें से सम्पन्न परिवारों के लिए उनके ही खर्च पर भू-अर्जन किया जाता है, परन्तु विपन्न परिवारों को सरकार अपने खर्च पर भू-अर्जन कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करती है । वर्तमान नीति के अनुसार (विभागीय परिपत्र संख्या स0पु0(क)-3-0-45/90-693-सा0पु0 दिनांक 25.02.1991 द्वारा) समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी को कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर तक जमीन अर्जित करने की शक्ति प्रदत्त है, बशर्तें कुल क्षतिपूर्ति की राशि 5 (पाँच) लाख रुपये तक हो । इस सीमा के बाद प्रमंडलीय आयुक्तों को 35 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर तक कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए शक्ति प्रदत्त है, बशर्तें कुल क्षतिपूर्ति की राशि 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तक हो ।

दिनांक 17.2.2003 को मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में बाढ़ग्रस्त जिलों के समाहर्त्ताओं एवं प्रमंडलीय आयुक्तों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में बाढ़-कटाव से विस्थापित परिवारों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए । वर्तमान बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल, बिहार के अभिभाषण की कण्डिका 4,4 में घोषणा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा वर्षों से बाढ़/कटाव से सभी जिलों के विस्थापित परिवारों के स्थायी पुनर्वास हेतु उन्हें भूमि और मकान उपलब्ध कराया जाएगा ।

विस्थापितों को जमीन एवं मकान उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक - 13.03.2003 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेशों में संशोधन आवश्यक है ।

क्0 पृ0 उ0----- --"2"

1724) 304 (5)

बाढ़/कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की समस्याओं के समाधान के संबंध में प्राप्त उच्चस्तरीय अनुशंसाओं पर भलीभांति विचारोपरान्त सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :-

1. कटाव से विस्थापित परिवारों को निम्न रूप में परिभाषित किया जाएगा :-

"वैसे परिवार जो नदी के कटाव के फलस्वरूप गृहविहीन एवं भूमिहीन (एक एकड़ से कम खेती योग्य भूमिधारक) हो गए हों, उन्हें ही विस्थापित परिवार माना जाए ।" बाढ़ के समय जो परिवार अस्थायी तौर पर स्कूल भवन में, रेलवे की जमीन या सड़क पर अथवा किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ शरण लेते हैं और पुनः अपने घर वापस चले जाते हैं, उन्हें इस परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा ।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार सभी विस्थापित परिवारों को दो वित्तीय वर्षों में भूमि के साथ-साथ आवास उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए राज्य योजना और और इंदिरा आवास/पी0एम0जी0 वाई, (आवास) के तहत उपलब्ध राशि के अलावा आवश्यक राशि की व्यवस्था हुडको-जैसी संस्थाओं से कर्ज लेकर की जायगी और कर्ज के मूल तथा सूद की वापसी की व्यवस्था राज्य सरकार अपने बजट से करेगी । इसके लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा ।

2. विस्थापितों के लिए संदर्भित तिथि 01.01.2003 मानी जाएगी और उस तिथि को आधार मानकर इसके पूर्व कटाव से विस्थापित हुए परिवारों को भूमि एवं मकान उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार की जाएगी । इस पुनर्वास योजना की प्रगति देखने के बाद दिनांक 01.01.2003 के बाद के विस्थापित परिवारों के मामले पर अलग से विचार किया जाएगा ।

3. जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध हो, वहाँ समाहर्ता सर्वप्रथम विस्थापित परिवारों के नाम उसकी बन्दोबस्ती करेंगे ।

4. यदि सरकारी जमीन उपलब्ध न हो तो कटाव-स्थल के यथा निकट समाहर्ता भूमि अर्जित कर कटाव से विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई करेंगे । समाहर्ता सुनिश्चित करेंगे कि भूमि का अर्जन न्यूनतम दर पर हो रहा है । कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि को अर्जित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विकसित कर विस्थापितों को पुनर्वासित किया जाएगा । पुनर्वास हेतु स्थल चयन करने के पूर्व समाहर्ता यथासंभव विकल्पों को स्पष्ट करते हुए कटाव पीड़ित परिवारों की आम राय भी ले लेंगे ताकि भू-अर्जन के उपरांत पुनर्वासित करने में कोई अड़चन न आए । जितनी जमीन की आवश्यकता होगी, उतनी ही जमीन के अर्जन की कार्रवाई की जाएगी ।

कृ0पृ0उ0------"3"

5. इस योजना के अधियाची पदाधिकारी संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे ।

6. यथासंभव विस्थापितों को एक ही जगह बसाया जायगा तथा प्रत्येक परिवार को (चार) 4 डीसमल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । एक एकड़ भूमि में 20(बीस) परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु भूमि आवंटित की जाएगी तथा शेष 20% (बीस प्रतिशत) जमीन अर्थात् प्रति एकड़ 20(बीस) डीसमल जमीन सामुदायिक कार्य, यथा-सड़क, नाला आदि के लिए सुरक्षित रखी जाएगी । यदि पुनर्वासित होनेवाले परिवारों की संख्या 10(दस) से कम हो, तो वहाँ उन्हें पुनर्वास हेतु मात्र 4 डीसमल प्रति परिवार की दर से भू-अर्जन कर भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा और सामुदायिक उपयोग के लिए अतिरिक्त जमीन अर्जित नहीं की जाएगी ।

7. इस योजना के तहत पुनर्वास हेतु भू-अर्जन आपातिक प्रावधानों के तहत की जाएगी ।

8. समाहर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस भू-धारी की भूमि अर्जित की जा रही है, वे भू-अर्जन के फलस्वरूप भूमिहीन न हो जाएँ और उनके पास कम से कम एक एकड़ भूमि उपलब्ध रहे ।

9. (i) भूमि के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए पूर्व में प्रदत्त शक्तियों में संशोधन किया जाता है । समाहर्त्ता को अब प्रति एकड़ अधिकतम एक लाख रुपये की दर पर भू-अर्जन की शक्ति होगी, बशर्ते कुल क्षतिपूर्ति की राशि 15(पन्द्रह) लाख रुपये तक हो । समाहर्त्ता इस दर की अधिसीमा के अन्तर्गत पुनर्वास हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे, परन्तु उन्हें (समाहर्त्ता को) यह स्वयं संतुष्ट होना है कि अर्जित की जानेवाली भूमि कटावग्रस्त गाँव के यथानिकट न्यूनतम मूल्य की एवं उपयुक्त है ।

(ii) (एक) लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिक, परन्तु दो लाख रुपये प्रति एकड़ की दर तक की अधिसीमा के अन्तर्गत समाहर्त्ता की अनुशंसा पर अब भू-अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपी जाती है, बशर्ते कि कुल क्षतिपूर्ति की राशि 50(पचास) लाख रुपये से अधिक नहीं हो । उन्हें भी यह संतुष्ट होना है कि अर्जित की जानेवाली जमीन न्यूनतम मूल्य की एवं उपयुक्त है ।

(iii) उपर्युक्त दर से अधिक दर पर भू-अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग सक्षम होगा ।

उपर्युक्त आदेश (कंडिका 9(i), (ii) एवं (iii) का निदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र निर्गत करेगा ।

कृ0प0उ0— — — "4"

472) 302

(3)

10. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नि:शुल्क (मुफ्त) जमीन उपलब्ध कराई जाएगी । गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को उनके खर्च पर जमीन अर्जित कर उपलब्ध कराई जाएगी ।

11. ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से राज्य सरकार का यह निर्णय है कि भारत सरकार के द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपात् समस्याओं, यथा-दंगा, आगजनी, लूटपाट से प्रभावित परिवारों को आवास मुहैय्या कराने हेतु केन्द्रीय स्तर पर इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल आवंटित की जानेवाली राशि का 5% (पाँच प्रतिशत) कर्णांकित कर सुरक्षित राशि से कटाव पीड़ितों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा । यह राशि प्रत्येक जिला को अधिकतम 50(पचास) लाख रुपये तक सभी विवरणों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर विमुक्त की जा सकेगी । प्रस्ताव में क्षति का पूर्ण विवरण एवं आवश्यक राशि का जिक्र आवश्यक होगा और इसके साथ यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि ऐसे मामलों में अन्य स्रोतों से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गई है । इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के कटावग्रस्त परिवारों के आवास-निर्माण की योजना तैयार कर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी ।

12. केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि इस योजना का कार्यान्वयन समाहर्ताओं के माध्यम से किया जाय और राशि उन्हें ही आवंटित की जाए, क्योंकि विस्थापित परिवार समाहर्ताओं के द्वारा पूर्व से ही चिन्हित हैं तथा साहाय्य एवं पुनर्वास के कार्य समाहर्ता तथा उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किए जाते हैं ।

13. चूंकि 50(पचास) लाख रुपये की राशि के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 250 (दो सौ पचास) परिवारों को ही एक वर्ष में लाभान्वित किया जा सकेगा, इसलिए कुछ जिलों में जहाँ विस्थापितों की संख्या अधिक है, इस योजना को दो या अधिक चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ।

14. यदि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस योजना के तहत प्राप्त होनेवाली राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास हेतु जो राशि कर्णांकित है, उससे आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी । इसके लिए यदि मार्गदर्शिका में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो ग्रामीण विकास विभाग योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई करेगा ।

15 15. दिनांक 13.3.2003 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रासंगिक विषय के संबंध में गठित समिति की बैठक में निदेशक, भू-अर्जन, उपस्थित थे और अनुशंसाएँ उनकी सहमति से की गई थी । बाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी सहमति अलग से उन संबंधित अनुशंसाओं में प्राप्त कर ली गई थी ।

क्र० पृ० प०------"5"

16. सम्प्रति प्राप्त सूचनानुसार कुल 40,918 (चालीस हजार नौ सौ अठारह) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु अनुमानित कुल 9,319.51 लाख रु० (तिरानबे करोड़ उन्नीस लाख एक्यावन हजार रुपये) के व्यय से संबंधित प्राक्कलन, जो अनुमानित/औपबंधिक है न कि प्रामाणिक, में भी राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

17. कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के क्रम में अर्जित की जानेवाली भूमि के लिए राशि योजना मद से उपलब्ध कराई जाएगी।

18. बिन्दु 11 से 14 तक के निर्णयों/निदेशों के आलोक में यथापेक्षित त्वरित कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

यह आदेश तत्काल बिन्दु 9 एवं 11 से 14 तक के निदेशों को छोड़कर संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू समझा जाएगा। बिन्दु 9 के संबंध में निदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अलग से निर्गत किए जायेंगे तथा बिन्दु 11 से 14 तक के संबंध में यथावश्यक निदेश निर्गत करने आदि की कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग करेगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों को दी जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)
सरकार के सचिव-सह-आयुक्त।

ज्ञापांक 2156/स०पु०, पटना-15, दिनांक - 16/8/03

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी समाहर्त्ताओं (जिला पदाधिकारियों)/सचिव-सह-सहायता आयुक्त, सहायता एवं पुनर्वास विभाग/विभागीय मंत्री/राज्यमंत्री के सचिव/आप्त सचिव (सहायता एवं पुनर्वास विभाग) को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत निदेश/आदेश की कम से कम पाँच प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(शिशिर सिन्हा)
सरकार के सचिव-सह-सहायता आयुक्त।

कृ०पृ०उ०--------"6"

170) 300

(1)

ज्ञापांक 2156/स0प्र0, पटना-15, दिनांक - 16/8/03

प्रतिलिपि अधीक्षक, बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राज्य के अगले गजट के असाधारण अंक में मुद्रित कराकर इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के सचिव-सह-सहायक आयुक्त ।

14/8